न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2017/00267 (303/2017)

रामप्रताप पुत्र श्री बीरबल जाति जाट निवासी कालुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा हाल आबाद 2 केएचआर माणक टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी कालुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
2. रणवीर सिंह पुत्र श्री रामप्रताप जाति निवासी कालुआना हाल आबाद मकान नं. 642 हड्डा कॉलोनी, सैक्टर 20 पार्ट–2, सिरसा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. महेन्द्र पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी कालुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा, हरियाणा हाल आबाद 127 Story brok road fish kill New York जरिये मुख्त्यार आम हरीसिंह पुत्र शिवलाल गांव रोहिड़ांवाली डाकघर आनंदगढ उप तहसील कालांवाली जिला सिरसा, हरियाणा।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्व निर्णय 17.05.2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी प्रकरण संख्या 06/2016 बअनवानी रणवीर सिंह आदि बनाम राजेन्द्र कुमार आदि

श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2, 3

श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4

निर्णय दिनांक – 17.08.21

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 में घोषणात्मक एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया। वाद पत्र में कथन किया [illegible] चक [illegible] केएचआर जमाबंदी संवत 2071--74 के खाता सं0 4 में अंकितानुसार राजेन्द्र कुमार, [illegible] कुमार, रणवीर [illegible] पि0 रामप्रताप का 5.035 हिस्सा कौम जाट साकिन कालूआना तहसील डबवाली जिला सिरसा रामप्रताप

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वल्द बीरबल कौम जाट 225/10 हिस्सा सा0 खाराखेडा है तथा भूमि का विवरण दिया कि प0 नं0 239/202 (मु0 नं0 30) कि0 नं0 23/0.253, 24/0.253 योग 0.506 है0 नहरी, प0 नं0 240/203 (मु0 नं0 34) कि. नं. 10/0.253, 11/0.253, 20/0.253 योग 0.759 है0 नहरी, प0 नं0 239/203 (मु0 नं0 35) कि. नं. 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25/प्रत्येक 0.253 है0 नहरी, योग 3.542 है0 नहरी, प. नं. 239/204 (मु. नं. 39) किला नं. 5/0.253 है0 योग 0.253 नहरी, कुल योग खाता भूमि 5.0600 है0 नहरी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार मुताबिक रेकार्ड भूमि 5.035 है0 में 1/3 ब0हि0ब0 में दर्ज रेकार्ड खातेदार है और मुताबिक कदीमी अर्से से अपने हक हिस्सा के मुताबिक काबिज काश्त है।

2. वादपत्र में बताया कि रणवीर सिह पुत्र श्री रामप्रताप के पास चक 2 के.एच.आर. प0 नं0 239/202 मु0 नं0 30, किला नं. 23, 24/0.506 है0 , प0 नं0 239/203 मु. नं. 35, किला नं. 3, 4/0.506 है0 नहरी, व 6/0.167 है0, 7/0.167 है0, 8/0.167 है0 एवं प0 नं0 240/203 (34) किला नं. 10/0.166 है0 कुल 1.678 है0, महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामप्रताप की चक 2 के.ए.आर. प0 नं0 239/203 (मु0 नं0 35) कि0 नं0 6/0.086 है0, कि0 नं0 7/0.086 है0, किला नं0 8/0.086 है0, प0 नं0 240/203 मु. नं. 34, किला नं. 10/0.087 है0, प0 नं0 239/203 मु0 नं0 35 किला नं. 13, 14, 15/0.0759 है0, प0 नं0 240/203 मु0 नं0 34 कि0 नं0 11, 20/0.506 है0, प0 नं0 239/203 मु0 नं0 35 कि0 नं0 17/0.034 है0, कि0 नं0 18/0.034 है0 कुल योग खाता भूमि 1.678 है0

3. वादपत्र में यह भी कथन किया कि मुताबिक संलग्न प्रतिलिपि नामान्तरण ग्राम चक 2 के. एच.आर. के अनुसार प0 नं0 239/203 (35) कि0 नं0 23/0.025 है0 भूमि जो पूर्व में रतिराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट की थी जिसने उक्त रकबा रामप्रताप पुत्र बीरबलराम जाति जाट को बैचान कर दिया जिस पर रामप्रताप का कब्जा है किन्तु इसका अंकन जमाबंदी में ना किया जाकर कुल हिस्सा दर्ज कर दिया गया जोकि 25 हिस्सा अंकित है।

4. वादीगण ने वाद पत्र की चरण संख्या 4 में अंकितानुसार स्वामित्वधारक खातेदार घोषित करने, खाता अलग कायम करने एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदराम किये जाने का अनुतोष मांगा।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.05.2017 को कैम्प कोर्ट राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 को उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करने पर राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिसमें वादी सं0 1 रणवीर पुत्र रामप्रताप चक 2 केएचआर प0 नं0 239/202 मु0 नं0 30 किला नं. 23, 24/.506 है0 प0 नं0 239/203 मु0 नं0 35 किला नं. 3/.240 नहरी मय .013 है0 खाला, 4/.228 है0 नहरी मय .025 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

खाला, 7/.241 है0 मय .012 है0 खाला, 8/.253, 13/.089, 14/.088 नहरी मय गैर मुमकिन .006 है0 खाला कुल रकबा 1.701 है0 नहरी मय गैर मुमकिन तथा महेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप को चक 2 केएचआर प0 नं0 239/203 मु0 नं0 35 किला नं0 5/.253, 6/.253 है0 किला नं0 15/.253 है0 , प0 नं0 240/203 मु0 नं0 34 किला नं. 1/.253, 10/0253, 11/.253, 20/.126 है0 कुल योग खाता 1.644 है0 नहरी मय गै0 मु0 तथा प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप को चक 2 केएचआर प0 नं0 239/204 मु0 नं0 39 किला नं. 5/.253, प0 नं0 239/203 मु0 नं0 35 किला नं0 25/.253, 24/.253, 17/.253, 18/.240 है मय .013 है0 रास्ता, 23/.104, 13/.144 नहरी मय .019 है0 रास्ता 14/.145 है0 नहरी मय .013 है0 रास्ता उत्तर दिशा कुल रकबा 1.690 है0 मय गै0 मु0 तथा प्रतिवादी सं0 2 रामप्रताप पुत्र बीरबलराम चक 2 केएचआर प0 नं0 239/203 मु0 नं0 35 किला नं. 16/.253, 23/.147, नहरी मय .002 रास्ते का कोणा दिशा उत्तर पश्चिम प0 नं0 240/203 मु0 नं0 34 किला नं0 20/.127 नहरी कुल रकबा 0.529 है0 नहरी मय गै0 मु0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया व मुताबिक राजीनामा खाता विभाजन कर रकम राज अलग कायम किये जाने के आदेश दिये इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश दिये और उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दराम किये जाने के आदेश दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.)

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भिजवाये गये, जिसकी पोस्टल रसीद संलग्न आई। रेस्पोडेण्ट सं0 1 की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित व रेस्पोडेण्ट संव 4 की तरफ से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
7. अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 की बहस सुनी गई।
8. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत करने के बाद वाद डिक्री किया गया जो काबिल खारिजी है। अपीलांट ने वाद में वर्णित राजीनामा के आशय से हस्ताक्षर कभी भी राजीनामा पर नहीं किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को राजीनामा के तथ्यों के बारे में अवगत नही करवाया गया। अपीलांट जो कि अकसर बीमार रहता है व कैंसर जैसे घातक रोग से पीड़ित है। अपीलाण्ट अपने सोचने समझने [illegible] है अपीलांट को रेस्पोडेण्ट द्वारा बहकावे में लेकर व सही तथ्य छुपाकर [illegible] है जो कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखी कर अहम कानूनी [illegible] व रेस्पोडेण्ट ने अपील में वर्णितानुसार विभाजन किया हुआ है किन्तु इन [illegible] पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नही किया है। अपीलाण्ट के हिस्सा में आई भूमि में रास्ता व खाला का ध्यान नही रखा गया है। अपीलाण्ट को प्राप्त भूमि में आवागमन के लिए व सिंचाई व्यवस्था के लिए कोई खाला व्यवस्था नहीं है। अपीलाण्ट को अपनी कैंसर की बीमारी के ईलाज के लिए बीकानेर दवाईयां लेने के लिए जाना पड़ता है। अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति आज से पूर्व नहीं ली। प्रार्थी को वरवक्त कैम्प लोकअदालत अभियान 2017 में हस्ताक्षर करने के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को बताया कि उक्त वाद में साक्ष्य व अन्य कार्यवाही शेष है व फैसला अभी शेष है। प्रार्थी ने बार बार अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा हड़ताल होने व अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नही हुआ। सप्ताह पूर्व रेस्पोडेंट ने प्रार्थी अपीलांट के कब्जा काश्त में अपीलाधीन निर्णय के अनुसरण में बेदखल करने की धमकी दी तो प्रार्थी अपीलांट ने दिनांक 09.08.2017 को अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करनी चाही तो अपीलांट के अधिवक्ता ने हड़ताल कर्मचारी की खत्म होने पर अपीलाधीन निर्णय की नकल लेने की बात की तो प्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 11.08.2017 को अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने की हिदायत दी फिर हनुमानगढ में अधिवक्ता से संपर्क कर अपीलाधीन निर्णय की यह अपील प्रस्तुत कर दी है। डिले कन्डोन की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा के अनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री में अपीलाण्ट ने दिनांक 07.07.2017 को 152 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में संशोधन करवाने का अनुतोष मांगा। इसलिए अपीलाण्ट का यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है कि सप्ताह पूर्व रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलांट के कब्जा काश्त में दखल देने पर उसे ज्ञान हुआ है एवं दिनांक 09.08.2017 को को अधिवक्ता से संपर्क कर अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने का प्रयास किया हो। अपीलांट को अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान पूर्व से ही रहा है। अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए प्रस्तुत की है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किया जावे।

10. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

11. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वाद रेस्पोडेण्ट सं० 2 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एव 53 के अन्तर्गत वाद पेश किया था, जिसमें दिनांक 17.05.2017 को राजीनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रस्तुंत किया गया था एवं राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद स्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट का यह कथन है कि उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान दिनांक 09.08.2017 से एक सप्ताह पूर्व रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने के उपरान्त ज्ञान हुआ उससे पूर्व उसे ज्ञान नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रथमतः तो यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट ने दिनांक 17.05.2017 को राजीनाम प्रस्तुत किया गया है। उस राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। द्वितीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होने के उपरान्त अपीलाण्ट ने दिनाक 07.07.2017 को धारा 152 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके द्वारा अपीालधीन निर्णय एवं डिक्री में दुरूस्ती चाही गई है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को राजीनामा के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का पूर्व से ही ज्ञान रहा है। अतः अपीलाण्ट का यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है कि उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान नहीं था। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र. एवं अपील दोनों खारिज किये जाने योग्य है।

13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किये जाते हैं एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

14. निर्णय आज दिनांक 17.08.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

17/8/21

(करतारसिह पूनियॉ)

आर..ए.एस

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:21 IST
Reason: SelfAttested